

डिकी व मुकदमें इत्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जावा दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा  
व मु० उनवान :-

1. राजेन्द्र  
2. जगवीर सिंह } पुत्रगण रामभरोसी जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम धारापुरा मजरा सदापुरा  
तहसील राजाखेडा

----- वादीगण

बनाम

1. महादेवी पत्नी धनश्याम जाति ब्राहमण निवासी खुडिला तहसील राजाखेडा  
2. उर्मिला बेबा कम्मोद सिंह  
3. जोगेन्द्र पुत्र कम्मोद सिंह  
4. राखी पुत्री कम्मोद सिंह  
5. प्रमोद पुत्र रामभरोसी } जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा  
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा  
7. महेन्द्रसिंह  
8. कुंवरसिंह  
9. सोवरनसिंह  
10. मुकेश } पुत्रगण खुशीलाल जातिगण राजपूत निवासीगण धारापुरा तहसील राजाखेडा  
11. सावित्री बेबा  
12. नहनी पुत्री } रामभरोसी जाति ठाकुर निवासी ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा  
13. सूखी पुत्री

..... प्रतिवादीगण

दावा:- स्वत्व घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज बंटवांरा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनाक :- 18.01.2023

मु० नम्बर 35/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ देवी सिंह (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एवं उपस्थिति श्री विमल शर्मा अभिभाषक वादीगण एवं श्री किशनसिंह त्यागी अभिभाषक प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं० 1187 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा, स्थित ग्राम जारह तहसील राजाखेडा के वादीगण राजेन्द्र व जगवीर सिंह पुत्रगण रामभरोसी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 महेन्द्र सिंह, कुंवरसिंह, सोवरनसिंह एवं मुकेश पुत्रगण खुशीलाल हिस्सा 1/2 के खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहत व मदाखलत बेजा नहीं करें। तहसीदार राजाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.01.2023 को जारी की गई।



( देवी सिंह )  
उपखण्डाधिकारी  
राजाखेडा  
राजाखेडा (धौलपुर)